07.1.22	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 10-1-2020 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को प्रतिवादी सं. 4 के फौत होने की जानकारी दी गयी। फिर भी अधिवक्ता वादीगण अथवा वादीगण की ओर से प्र.सं. 4 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करना न्यायोचित नहीं है। परिसीमा अधिनियम की धारा 120 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested

मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को CPC के अधीन पक्षकार बनाने के लिए "समय सीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिवस है"

अतः उक्तानुसार स्पष्ट है कि वाद वादी को इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested